


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज  <b>श्याम सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर-प्रथम, जोधपुर)</b>  सू.अ.अपील संख्या 32 / 2023</p>	<p>न. व तारीख  अहकाम जो  इस हुक्म की  तामील में  जारी हुए</p>
<p>06.02.23</p>	<p>अपीलार्थी श्याम सिंह निवासी राजपूतों का मोहल्ला, चांदसमा, तहसील देऊ, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.12.2022 में उसके द्वारा (1) राजस्व ग्राम चांदसमा में कितनी ओरण एवं गोचर भूमि उपलब्ध है, ओरण एवं गोचर भूमि के खसरा न. एवं क्षेत्रफल कितना है (2) अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर-प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो. पक्ष (अपर जिला कलक्टर-प्रथम, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो. पक्ष (अपर जिला कलक्टर-प्रथम, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर-प्रथम, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">   (हिमान्शु गुप्ता)  जिला कलक्टर जोधपुर  <b>जिला कलक्टर, जोधपुर (राब.)</b> </p>	